प्रेस नोट

बैंक और एटीम की सुरक्षा के मद्देनजर समाहर्ता, दीव ने जारी किया आदेश
बैकों को बैंक तथा एटीएम पर 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की करनी होगी तैनाती

दीव, 30 सितम्बर, 2021 :- देश में कई प्रांतों में आए दिन यह देखने या समाचार पत्रों में पढने को मिलता है कि कुछ आसामजिक तत्व द्वारा बैंक एटीएम / बैंक में आक्रमण / लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। असामाजिक तत्वों द्वारा कभी बैंक या एटीएम को लूट लिया जाता है तो कभी एटीएम को ही उखाड कर ले जाते हैं। इन सब घटनाओं के कारण सरकार एवं आमजनता को काफी परेशानियॉ उठानी पड़ती है और बैकों को भी काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी घटनायें दीव में बैंको या एटीएम में न हो और असामाजिक तत्वों के द्वारा यहॉ के लोगों की शांति भंग न हो, मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा न हो तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचे इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से **समाहर्ता, दीव सलोनी राय ने** आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है।

उक्त आदेश के अनुसार दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने सभी बैकों को यह आदेश दिया है कि वे अपने-अपने बैंक में तथा दीव जिला के विभिन्न स्थलों पर लगाए गए एटीएम में तत्काल प्रभाव से 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती करें या फुल प्रुफ सुरक्षा तंत्र लगाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है